भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1882

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार, उत्पीड़न तथा अन्य अत्याचारों के मामले

1882. श्रीमती रजनी पाटिलः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत छह महीनों में देश के विभिन्न भागों में महिलाओं खासकर बालिकाओं के विरुद्ध बलात्कार, उत्पीड़न और अन्य अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो देश में खासकर महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, जनवरी से अप्रैल, 2016 के दौरान महिलाओं (बालिकाओं सहित) के प्रति अपराध के अंतर्गत कुल 58,976 मामले दर्ज किए गए। चूंकि आकड़े अनंतिम हैं, इसलिए तुलना नहीं की जा सकती है।

(ख): महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में दिनांक 03 फरवरी, 2013 से प्रभावी दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 में, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, घूरने, तेजाबी हमला, शब्दों और अनुचित स्पर्श जैसी अभद्र भाव-भंगिमाओं जैसे अपराधों के लिए दंड बढ़ाए गए हैं। नए कानून में तेजाबी हमलों, पीछा करने और घूरने जैसे अपराधों के लिए कड़े दंड के प्रावधान के अलावा बलात्कार के दोषियों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित अधिक दंड के प्रावधान मौजूद हैं।

.....2/-

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 1882

एक विशेष कानून के तौर पर यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 दिनांक 14 नवम्बर, 2012 से प्रभावी है ताकि यौन उत्पीड़न और शोषण से बच्चों की रक्षा की जा सके।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं के प्रति अपराध विषय पर दिनांक 04.09.2009, 14.7.2010, 05.01.2015, 20.04.2015 और 12.05.2015 को परामर्शी-पत्र जारी किए हैं। इन परामर्शी-पत्रों में राज्य सरकारों को महिलाओं के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए लोगों के लिए त्वरित एवं प्रभावकारी दंड के लिए समुचित उपाय करने, फास्ट ट्रैक न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों, प्रत्येक पुलिस थाने में महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी डेस्कों की स्थापना, जांच की गुणवत्ता में सुधार, महिलाओं के प्रति अपराध की जांच में होने वाली देरी को कम करने और पुलिस कार्मिकों को जेन्डर सुविज्ञता प्रदान करने की सलाह दी गई है। इन परामर्शी-पत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से निदेश दिए गए हैं कि मामलों की अच्छी तरह से जांच की जाए तथा जांच की गुणवत्ता से समझौता किए

बिना घटना की तारीख से तीन माह के भीतर अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए जाएं। बलात्कार, हत्या आदि जैसे जघन्य अपराधों की त्वरित जांच की जाए। बलात्कार पीड़िताओं की मेडिकल जांच बिना बिलंब कराई जाए।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- पी ए डब्ल्यू (महिला अत्याचार निवारण) सेल : इस सेल में महिलाओं आदि के साथ दुर्व्यवहार और अपराध से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाते हैं इन आवेदनों की जांच यूनिटों द्वारा की जाती है ताकि जरूरतमंद महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। यह सेल महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और विषय सामग्री परिचालित करके विभिन्न यूनिटों के पुलिस कर्मियों को सुविज्ञ बनाता है।
- महिला पुलिस कक्ष (महिला सहायता डेस्क पुलिस थाना स्तर): महाराष्ट्र में महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम, पता लगाने और जांच का कार्य क्षेत्राधिकार से संबंधित पुलिस थानों द्वारा निष्पादित किया जाता है। पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य मुम्बई ने प्रत्येक पुलिस थाने में महिला पुलिस कक्ष स्थापित करने

.....4/-

के बारे में परिपत्र जारी किए हैं ताकि महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों से निपटा जा सके। उपलब्धता के आधार पर महिला पुलिस अधिकारियों और पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति इन सेलों में की जाती है। अब तक इस प्रकार के 1062 सेल स्थापित किए जा चुके हैं।

- महिला सुरक्षा समिति (जिला स्तर): ये समितियां सभी 46 पुलिस इकाइयों के सभी मुख्यालयों और सभी पुलिस थानों में स्थापित हैं। ये समितियां, पुलिस हस्तक्षेप के द्वारा संकट में फंसी महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायता कर रही हैं। इस सेल में महिला डाक्टर, महिला अधिवक्ता, महिला प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल होती हैं।
- विशेष किशोर पुलिस यूनिट और बाल कल्याण अधिकारी: महाराष्ट्र के सभी जिलों में संकट में फंसे बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए महाराष्ट्र बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड स्थापित किए गए हैं। सभी 46 पुलिस इकाइयों में विशेष किशोर पुलिस इकाई तैयार की गई है और 1062 पुलिस थानों में एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति बाल कल्याण अधिकारी के रूप में की गई है।
- एसटी स्टैंड पर सहायता केन्द्र: महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए राज्य परिवहन बस स्टेशनों पर 364 सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

- महिला हेल्प लाइन: मुम्बई, थाणे और नवी मुम्बई के लिए प्रतिबद्ध टॉलफ्री हेल्प लाइन संख्या 103 तथा शेष महाराष्ट्र के लिए हेल्प लाइन संख्या 1091 कार्य कर रही है।
- विशेष एवं फास्ट ट्रैक न्यायालय: महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों के त्वरित निपटान हेतु कुल मिलाकर 27 विशेष न्यायालय मौजूद हैं। महिलाओं तथा मानसिक रूप से विकलांग लडकियों पर अत्याचार से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 25 फास्ट ट्रैक न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं।
- कार्य स्थलों पर शिकायत समितियां: माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार इन समितियों की स्थापना सभी 46 पुलिस यूनिट मुख्यालयों और राज्य सीआईडी कार्यालय, पुणे में की गई है। ये समितियां महिला पुलिस अधिकारियों/स्टाफ तथा पुलिस कार्यालयों में कार्यरत अन्य अनुसचिवीय स्टाफ की कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों से निपटती हैं।
- छींटाकशी के लिए निवारक कार्रवाई: इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य द्वारा अनुदेश और परिपत्र जारी किए गए हैं। कॉलेज क्षेत्र में, पुलिस यूनिटों द्वारा नियमित रूप से पैदल गश्त, गश्त,

नाकाबंदी आदि की जाती है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर सुरक्षा संबंधी उपायों और मौजूदा कानूनों पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।

- महिलाओं की शिकायतों के प्रति पुलिस अधिकारियों और जवानों की संवेदनशीलता: महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक और सभी प्रशिक्षण स्कूलों में पुलिस अधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी पाठ्यक्रम और यूनिट मुख्यालयों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध और जेंडर संबंधी मुद्दों से जुड़े कानून शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों और अभियोजकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि मानव तस्करी-रोधी संबंधी उपायों, उसकी गंभीरता तथा समाज पर प्रभाव के बारे में जानकारी दी जा सके ताकि उनमें पीड़ित हितैषी दृष्टिकोण विकसित हो सके और जांच संबंधी उनके कौशल में सुधार लाया जा सके।
- मनोधैर्य योजना: महिला एवं बाल कल्याण विभाग बलात्कार और तेजाबी हमलों की पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए दिनांक 02.10.2013 से इस योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना में मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- अनुदेश पुस्तिका: महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की जांच करने के लिए सभी परिपत्रों, दिशानिर्देशों, परामर्शी-पत्रों, दांडिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 के बारे में एक पुस्तिका प्रकाशित और सभी पुलिस इकाइयों को परिचालित की गई है।

- सुकानु समिति की सिफारिशों के अनुसार परामर्श केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं और इनका प्रबंधन महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। तथापि, पुलिस थाना स्तर पर महिला सहायता डेस्क और पुलिस थाना और यूनिट मुख्यालय स्तर पर महिला सुरक्षा समितियां महिलाओं और बच्चों से संबंधित शिकायतों के बारे में परामर्शदाता की भूमिका निभाती हैं।
- महाराष्ट्र राज्य ने दिनांक 31.03.2008 को मानव तस्करी-रोधी सेल की स्थापना की थी। महाराष्ट्र राज्य में 12 मानव तस्करी-रोधी यूनिटें स्थापित हैं। आयुक्तालय में सामाजिक सेवा शाखा और महाराष्ट्र पुलिस की जिला अपराध शाखा में कार्यरत पुलिस निरीक्षकों को मानव तस्करी-रोधी मामलों के उद्देश्य से "विशेष पुलिस अधिकारी" के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005: घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया गया है। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी जिलों में संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और उक्त विभाग द्वारा विस्तृत सूचना संकलित की जाती है। तथापि, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समिति जिला स्तर पर इसकी समीक्षा करती है।
- महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक जिले में जिला सर्तकता समिति गठित की गई थी। जिला कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष थे और पुलिस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, अधिवक्ता, महिला चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय कॉलेज के प्रधानाचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता और महिला संगठन के सदस्य इस सेल में कार्य करते थे। यह समिति

राज्य सभा अता. प्रश्न संख्या 1882

दहेज, घरेलू हिंसा, अनैतिक व्यापार, देवदासी जैसे महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कार्य करती हैं।

- कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम: (1) प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नैटल डायग्नोस्टिक टेकनिक (लिंग चयन निवारण) अधिनियम, 1994 और (2) मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम, 1971 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उप पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम: टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, विज्ञापन बोर्डों, न्यूज मीडिया, पर्चों आदि जैसे माध्यमों का इस्तेमाल करके गृह विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग जैसे संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने विषयों के अनुसार सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- मोबाइल एप्स: महाराष्ट्र पुलिस की विभिन्न यूनिटों ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए मोबाइल एप्लिकेशन तैयार किए हैं। ये एप्लिकेशन वेब आधारित हैं और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। ये एप्लिकेशन नि:शुल्क हैं और महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। महिलाएं इन एप्लिकेशनों का प्रयोग व्यापक रूप से कर रही हैं।

*****